न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 16 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
1. प्रतापाराम पुत्र केशराराम 2. हीराराम पुत्र केशराराम 3. गिरधारी पुत्र केशराराम 4. गवरदेवी पत्नी केशराराम 5. चूनाराम पुत्र भोजाराम 6. पेमाराम पुत्र टीकमाराम 7. विशनाराम पुत्र टीकमाराम 8. नवलाराम पुत्र टीकमाराम 9. धापूदेवी पत्नी टीकमाराम 10. पुरखाराम पुत्र खुमाराम 11. नगाराम पुत्र खुमाराम 12. हरचंदराम पुत्र मानाराम 13. कालूराम पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी मीठीया तला पटवार क्षेत्र मांगता तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर	1. तेजाराम पुत्र आसुराम 2. केशीदेवी पत्नी आसुराम 3. हरचंदराम पुत्र भीयाराम 4. गोकलाराम पुत्र भीयाराम 5. ठाकराम पुत्र जेताराम 6. दानाराम पुत्र जेताराम 7. अचलाराम पुत्र दीपाराम 8. जालाराम पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी मीठीया तला पटवार क्षेत्र मांगता तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर 9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धौरीमन्ना जिला बाड़मेर 10. उप पंजीयक धौरीमन्ना तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर धौरीमन्ना द्वारा राजस्व वाद संख्या 119 / 2022 बअनवान तेजाराम व अन्य बनाम प्रतापाराम एवं अन्य में पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री 01.11.2023 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री देवाराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 01 से 08 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—03.03.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उंतरदाता / वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा मीठीया तला पटवार क्षेत्र मांगता तहसील धौरीमन्ना के खेत खसरा संख्या 280 / 57 रकबा 3.2375 हैक्टयर, खसरा संख्या 57 रकबा 13.6703 हैक्टयर कुल रकबा 16.9078 हैक्टयर और ग्राम धतरवालो की ढाणी के खेत खसरा संख्या 31 रकबा 32.8604 हैक्टयर की अवस्थित है। उपरोक्त भूमि में रूपाराम पुत्र

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गेनाराम का 1/2 हिस्सा और खुमा, माना पिता शेराराम और चुनाराम पुत्र भोजाराम का 1/2 हिस्सा होना बताकर वाद प्रस्तुत किया है जबकि जमाबंदी में उपरोक्त हिस्सों के अतिरिक्त भिन्न हिस्से अंकित किये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरुद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि उपरोक्त आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांटगण पर उपरोक्त स्थिति में विधिवत रूप से तामिली नहीं हुई है, जिस वजह से अपीलांटगण को न तो जवावदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान हुआ और न ही साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटगण को प्राकृतिक न्याय एवं साम्या के सिद्धांतों के अनुसार सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना अतिआवश्यक था किन्तु नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट को अपनी शहादत पेश करने कोई अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटस को जिरह करने तथा साक्षियों की परीक्षा करने का अवसर नहीं दिया गया। उतरदातागण ने अपने वादपत्र के साथ में जमाबंदी प्रस्तुत की है जिसमें अपीलांटगण और उतरदातागण का कही पर भी 1/2 हिस्सा व 1/2 हिस्सा अंकित नहीं किया है बल्कि भिन्न–भिन्न हिस्से अंकित किये है। जमाबंदी में अंकित हिस्सों से बाहर जाकर के एकतरफा निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जो राजस्व रिकॉर्ड में अंकित इन्द्राजो से विपरीत पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 से 08 ने अपनी बहस करते हुए बताया कि कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। हिस्सों को लेकर अपीलांटस द्वारा आपति की गई जबकि वक्त सेटलमेंट वादीगण व प्रतिवादीगण अपीलाधीन आराजी के 1/2–1/2 हिस्से के खातेदार है। वादीगण का हिस्सा इस प्रकार है कि वादी तेजाराम पुत्र आसूराम का 1/36 हिस्सा, केसीदेवी पत्नी आसूराम का 1/36 हिस्सा, हरचंदराम पुत्र भींयाराम का 1/18 हिस्सा, गोकलाराम पुत्र भींयाराम का 1/18 हिस्सा, ठाकराराम पुत्र जेताराम का 1/12 हिस्सा, दानाराम पुत्र जेताराम का 1/12 हिस्सा, अचलाराम पुत्र दीपाराम का 1/12 हिस्सा, जालाराम पुत्र दीपाराम का 1/12 हिस्सा वर्तमान जमाबंदी में दर्ज है। सभी वादीगण के हिस्से क्रमशः 1/36+ 1/36+ 1/18+ 1/18+ 1/12+ 1/12+ 1/12+ 1/12 है जिसका कुल योग 18/36 यानि संपूर्ण अंतिम योग 1/2 हिस्सा बनता है जिसे प्राथमिक डिक्री में घोषित किया गया है। वादीगण/उतरदाता अपना 1/2 हिस्सा जमाबंदी अनुसार संयुक्त रखना चाहते है। जो अन्य खेतों में बंटवारा करने पर आपस में अलग सहमति से बंटवारा करेंगे। इसलिए 1/2 हिस्सा संयुक्त रूप से दर्ज जमाबंदी अनुसार रखना चाहता है। जिसमें प्रतिवादीगण/अपीलांट द्वारा हिस्सों के संबंध में अपील के जरिये की गई आपति निराधार है। अपीलांटगण/प्रतिवादीगण का हिस्सा इस प्रकार है कि प्रतापाराम पुत्र केशाराम का 1/32 हिस्सा, हीराराम पुत्र केशाराम का 1/32 हिस्सा, गिरधारीराम पुत्र केशाराम का 1/32 हिस्सा, गवरी पत्नी केशाराम का 1/32 हिस्सा, चुनाराम पुत्र भोजाराम का 1/8 हिस्सा, पेमाराम, विशनाराम, नवलाराम, धापूदेवी पुत्र/पत्नी टीकमाराम पुत्र खुमाराम का 1/24 हिस्सा, पुरखाराम पुत्र खुमाराम का 1/24 हिस्सा, नगाराम पुत्र खुमाराम का 1/24 हिस्सा, हरचंदराम पुत्र मानाराम का 1/16 हिस्सा, कालूराम पुत्र मानाराम का 1/16 हिस्सा हिस्सा वर्तमान जमाबंदी में दर्ज है। सभी अपीलांटगण/प्रतिवादीगण के हिस्से क्रमशः 1/32+ 1/32+ 1/32+ 1/32+ 1/8+ 1/24+ 1/24+ 1/24+ 1/16+ 1/16 जिसका कुल योग 48/96 यानि संपूर्ण अंतिम योग 1/2 हिस्सा बनता है जिसे प्राथमिक डिक्री में घोषित किया गया। यदि अपीलांटस के संपूर्ण हिस्सें का अंतिम योग 1/2 है लेकिन अपीलांटस अपना वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्से को अलग करवाना चाहते है तो श्रीमान न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री में संशोधन करते हुए अपीलांटगण के आपस में प्रत्येक खातेदार का रकबा/हिस्सा अलग वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार करे तो वादीगण/उतरदातागण को कोई आपति नहीं है। जिसके अनुसार अपीलाधीन आराजी के बंटवारे हेतु प्राथमिक डिक्री अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमांनुसार पारित की गई। अपीलांटस द्वारा हस्तगत प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने की नियत से यह अपील पेश की। अपीलाधीन डिक्री में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अतः अपीलांटगण की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम से रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भिजवाये गये उसके बावजूद भी अपीलांटस जानबुझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने से न्यायालय द्वारा अपीलांटस के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए वाद की स्टेज को आगे बढाया गया। अपीलांटस द्वारा हस्तगत अपील के जरिये आपति की गई कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजात के अनुसार वक्त सेटलमेंट वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज सेटलमेंट जमाबंदी प्रदर्श– पी1 के खाता संख्या 42 के अनुसार अपीलाधीन आराजी के 1/2–1/2 हिस्से के खातेदार है। जबकि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड प्रदर्श–पी2 के अनुसार वादीगण का हिस्सा इस प्रकार है कि वादी तेजाराम पुत्र आसूराम का 1/36 हिस्सा, केसीदेवी पत्नी आसूराम का 1/36 हिस्सा, हरचंदराम पुत्र भींयाराम का 1/18 हिस्सा, गोकलाराम पुत्र भींयाराम का 1/18 हिस्सा, ठाकराराम पुत्र जेताराम का 1/12 हिस्सा, दानाराम पुत्र जेताराम का 1/12 हिस्सा, अचलाराम पुत्र दीपाराम का 1/12 हिस्सा, जालाराम पुत्र दीपाराम का 1/12 हिस्सा वर्तमान जमाबंदी में दर्ज है। सभी वादीगण के हिस्से क्रमशः 1/36+ 1/36+ 1/18+ 1/18+ 1/12+ 1/12+ 1/12+ 1/12 है जिसका कुल योग 18/36 यानि संपूर्ण अंतिम योग 1/2 हिस्सा बनता है जिसे प्राथमिक डिक्री में घोषित किया गया है। वादीगण के अधिवक्ता ने लिखित बहस के जरिये सहमति दी कि वादीगण/उतरदाता अपना 1/2 हिस्सा जमाबंदी अनुसार संयुक्त रखना चाहते है। जो अन्य खेतों में बंटवारा करने पर आपस में पृथक से सहमति से बंटवारा करेंगे। इसलिए 1/2 हिस्सा संयुक्त रूप से दर्ज जमाबंदी अनुसार रखना चाहता है। अपीलांटगण/प्रतिवादीगण का हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड प्रदर्श–पी2 के अनुसार इस प्रकार है कि प्रतापाराम पुत्र केशराराम का 1/32 हिस्सा, हीराराम पुत्र केशराराम का 1/32 हिस्सा, गिरधारीराम पुत्र केशराराम का 1/32 हिस्सा, गवरी पत्नी केशराराम का 1/32 हिस्सा, चुनाराम पुत्र भोजाराम का 1/8 हिस्सा, पेमाराम, विशनाराम, नवलाराम, धापूदेवी पुत्र/पत्नी टीकमाराम पुत्र खुमाराम का 1/24 हिस्सा, पुरखाराम पुत्र खुमाराम का 1/24 हिस्सा, नगाराम पुत्र खुमाराम का 1/24 हिस्सा, हरचंदराम पुत्र मानाराम का 1/16 हिस्सा, कालूराम पुत्र मानाराम का 1/16 हिस्सा हिस्सा वर्तमान जमाबंदी में दर्ज है। सभी अपीलांटगण/प्रतिवादीगण

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

के हिस्से क्रमशः 1/32+ 1/32+ 1/32+ 1/32+ 1/8+ 1/24+ 1/24+ 1/24+ 1/16+ 1/16 जिसका कुल योग 48/96 यानि संपूर्ण अंतिम योग 1/2 हिस्सा बनता है जिसे प्राथमिक डिक्री में घोषित किया गया। यदि अपीलांटस के संपूर्ण हिस्सें का अंतिम योग 1/2 है लेकिन अपीलांटस अपना वर्तमान जमावंदी में दर्ज हिस्से को अलग करवाना चाहते है तो श्रीमान न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री में संशोधन करते हुए अपीलांटगण के आपस में प्रत्येक खातेदार का रकवा/हिस्सा अलग वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार करे तो वादीगण/उतरदातागण को कोई आपति नहीं है। जिसमें प्रतिवादीगण/अपीलांट द्वारा हिस्सों के संवंध में अपील के जरिये की गई आपति निराधार है। यदि अपीलांटस के निवेदन को स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड किया जाता है तो बंटवारे के वाद निस्तारण में अनावश्यक विलंब कारित होगा। जबकि ऐसी कोई विधिक/कानूनी/प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित नहीं की गई है। उपरोक्त विवेचन, तथ्यों, दस्तावेजात तथा मेरी सुविचारित राय में अपील आंशिक स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर धौरीमन्ना द्वारा राजस्व वाद संख्या 119/2022 बअनवान तेजाराम व अन्य बनाम प्रतापाराम एवं अन्य में पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री 01.11.2023 को संशोधित करते हुए वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार प्रत्येक अपीलांटस के हक हिस्से की भूमि का नियमानुसार अलग बंटवारे करने के आदेश दिये जाते हैं शेष प्राथमिक निर्णय व डिक्री यथावत रहेगी। अपीलांटस को न्यायहित में विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई का अवसर दिया जाकर उभयपक्षकारान को सूचित करते हुए भूमिधारक तहसीलदार धौरीमन्ना स्वयं मौके पर जाकर राजस्थान काश्कारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए सड़क/धोरा पर हिस्से अनुसार माफिक प्राथमिक डिक्री बाई मिटस एण्ड बाउंड विभाजन प्रस्ताव तैयार कर मातहत अदालत में पेश करे तत्पश्चात मातहत अदालत नियमानुसार गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

3/3/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 03.03.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/3/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर